न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/113/2025 वाद

दायर दिनांक 29.12.2025

उनवान

1. लतीफ मोहम्मद पुत्र चान्द मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

1. इस्माइल पुत्र नूरा जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. पीर मोहम्मद पुत्र अब्दुल जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. मोहम्मद हुसैन पुत्र चान्द मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
4. सकीना पत्नी मोहम्मद अब्बास जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
5. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री आमीर मंसूरी –वादी
अधिवक्ता श्री बालेन्द्र कोठारी –प्रतिवादी संख्या 1
एकतरफा –प्रतिवादी संख्या 2 व 4

(मुहर: सहायक कलेक्टर कपासन, जिला चित्तौड़गढ़)

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्टः–

निर्णय दिनांकः 27.04.2026

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन के आराजी संख्या 5509, 5510, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520 कुल किता 07 कुल रकबा 0.97 हैक्ट0 स्थित है जो राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में वादी के नाम 3/16 हक हिस्से से एवं शेष प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। व निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात का राजस्व रेकार्ड एवं मौके पर मिट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन किया जाकर वादी का 3/16 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में तन्हा अंकित किये जाने एवं इसी अनुरूप वादी के कब्जे में रखाये जाने का निर्णय एवं डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से दिनांक 24.02.2026 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बालेन्द्र कोठारी का अधिकार पत्र मय जवाब पेश जो शा0फा0 है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

उक्त वाद पत्र में दिनांक 24.02.2026 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 27.04.2026 से प्रस्तुत की गई। जो शा0फा0 की गयी। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 27.04.2026 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन के आराजी संख्या 5509, 5510, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520 कुल किता 07 कुल रकबा 0.97 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 27.04.2026 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. लतीफ मोहम्मद पिता चांद मोहम्मद जाति मुसलमान हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (हे0)	किस्म
1	5520	0.1000	बारानी 2
2	5519/1	0.0818	बारानी 2
योग	कुल किता–02	0.1818	

2. ईस्माईल पुत्र नूरा जाति मुसलमान हिस्सा 2425/7882, पीर मोहम्मद पुत्र अब्दुल जाति मुसलमान हिस्सा 2425/7882, सकीना पत्नी मोहम्मद अब्बास जाति मुसलमान हिस्सा 2425/7882, मोहम्मद हुसैन पिता चान्द मोहम्मद जाति मुसलमान हिस्सा 607/7882 सा. देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (हे0)	किस्म
1	5519/2	0.0282	बारानी 2
2	5509	0.1700	बारानी 2
3	5510	0.1000	बारानी 2
4	5516	0.2300	बारानी 2
5	5517	0.0600	बारानी 2
6	5518	0.2000	बारानी 2
योग	कुल किता–06	0.7882	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
कपासन जिला चित्तौड़गढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कपासन जिला चित्तौड़गढ़